



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

(एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) जिला—रायगढ़)

Tele -07762 - 232668 (O), 232668 (Fax)

email: dm.raigarh@yahoo.co.in



क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2019-20 /

4357

रायगढ़, दिनांक 18/3/2020

प्रति,

अति महत्वपूर्ण

जिला परिवहन अधिकारी
जिला—रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:—“कोरोना वायरस” के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में ।

संदर्भ:—संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. का पत्र क्रं /DHS /के.स्टोर /2020 /122 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16.03.2020

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि “नोवेल कोरोना वायरस” के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के नियम-94 के प्रावधानों के तहत लोक सेवा यानो (स्टेट कैरिज एवं कान्ट्रैक्ट कैरिज, आटोरिक्षा, टैक्सीकेब, मैक्सी कैब, स्कूल बस, प्रायवेट सेवायान, ई-रिक्षा इत्यादि) इस दिशा में जन-जागरूकता की दृष्टि से सार्वजनिक यातायात संचालक अपने वाहनों में बेहतर साफ-सफाई के लिए निम्नलिखित Cleaning Agent and Disinfectants के द्वारा विसंक्रमण किये जाने हेतु आपके अधीनस्थ समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायान संचालक / मालिक, समस्त यातायात / परिवहन संघ रायगढ़ छ.ग. को निर्देशित करने का कष्ट करें।

- 1- 1% Sodium Hypochlorite can be used as a disinfectant for cleaning and disinfection.
- 2- The Solution Should be prepared fresh.
- 3- Leaving the solution for a contact time of at least 10 minutes is recommended.
- 4- Alcohol (e.g. isopropyl 70% or ethyl alcohol 70%) can be used to wipe down surfaces where the use of bleach is not suitable, e.g. metals.

अतः उपरोक्तानुसार दिये दिशा-निर्देश का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

18/3

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला—रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 18/3/2020

पृ.क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2019-20 /

4358-63

प्रतिलिपि:—

1. संचालक, संचालनालय स्वा. सेवायें छ.ग. की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, महामारी नियंत्रण, संचालनालय स्वा. सेवायें तृतीय तल, इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
4. अस्पताल अधीक्षक, स्व.श्री.ल.अ.स्मू.चिकि.महा.वि. संबद्ध शासकीय चिकित्सालय जिला—रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
5. जिला सर्वलेंस अधिकारी (IDSP) स्थानीय कार्यालय, जिला—रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, स्थानीय कार्यालय, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

18/3

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला—रायगढ़ (छ.ग.)